संख्या- 189 /18-4-2025-35(बजट)/07

प्रेषक,

दयाराम यादव
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0,
कानपुर ।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 26 मार्च, 2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-003 के तहत उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना में प्राविधानित/बचत के रूप में परिलक्षित हो रही धनराशि रू0 9384.35 लाख में से रू0 153.27 लाख मात्र का पुनर्विनियोग वायुयान भाड़ा सहायता योजना मद में करते हुए वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या-114/4-वित्त/पुनर्विनियोग/2024-25, दिनांक 13.02.2025 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-003 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना में प्राविधानित/बचत के रूप में परिलक्षित हो रही धनराशि रू0 9384.35 लाख है तथा चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में अनुदान सं0-003 के तहत वायुयान भाड़ा सहायता योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-441/18-4-2024-35(बजट)/07,दिनांक 01-07-2024 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 100.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-690/18-4-2024-35(बजट)/07,दिनांक 17-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

09-2024 द्वारा द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में धनराशि रू0 100.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिसके फलस्वरूप सम्प्रति प्रश्नगत मद में स्वीकृत किये जाने हेतु कोई धनराशि उपलब्ध नहीं है, जबकि वायुयान भाड़ा सहायता योजना के अंतर्गत निर्यातकों के दावों के निस्तारणार्थ चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि रू0 153.27 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है। अतएव उक्त के दृष्टिगत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में दी गयी व्यवस्था/सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर निर्गत निर्देशों/सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों के अधीन वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-003 के तहत उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना के क्रियान्वयन हेतु लेखाशीर्षक-'2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-16-उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना-27-सब्सिडी' (लेखाशीर्षक 15 डिजिट कोड में-2851-00-102-16-00-27) के अंतर्गत प्राविधानित/ बचतों की परिलक्षित हो रही धनराशि रू0 9384.35 लाख में से रू0 153.27 लाख (रूपये एक करोड़ तिरपन लाख सत्ताइस हजार) मात्र का पुनर्विनियोग वायुयान भाड़ा सहायता योजना के लेखाशीर्षक-'2851- ग्राम तथा लघु उद्योग-800-अन्य व्यय-14-वायुयान भाड़ा सहायता योजना-27-सब्सिडी' (लेखाशीर्षक 15 डिजिट में 2851-00-800-14-00-27) में करते हुए वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए धनराशि आपके निवर्तन पर इस प्रतिबन्ध के साथ रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि आप द्वारा इस शासनादेश के माध्यम से उक्तवत् पुनर्विनियोग कर स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 153.27 लाख का सदुपयोग उ0प्र0 शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा योजना संबंधी गाइड लाइन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में किया जायेगा एवं धनराशि के सदुपयोगोपरांत प्रमाण-पत्र/व्यय विवरण धनराशि व्यय होने के एक माह के अंदर शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा इस शासनादेश की अन्य महत्वपूर्ण शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्नवत हैं:-

(1) उक्त पुनर्विनियोग से व्यवस्थित धनराशि के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में लंबित देयताओं के सम्बन्ध में संगत नीति/शासनादेशों के अनुसार देय हों, अन्यथा की स्थिति में स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2) पुनर्विनियोग से व्यवस्थित प्रश्नगत धनराशि हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। राजकोष से आहरित की जाने वाली धनराशि को बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा तथा धनराशि को इसी वित्तीय वर्ष में पात्र लाभार्थियों/संस्थाओं को सीधे भुगतान किया जायेगा।

(3) उक्त पुनर्विनियोजित धनराशि व्यय करने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय केवल उक्त स्वीकृत मदों पर ही किया जायेगा एवं यदि प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि व्यय नहीं हो पाती है तो स्वीकृत की जा रही धनराशि दिनांक 31-3-2025 तक वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके तात्कालिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा एवं स्वीकृत धनराशि का आहरण कर पी0एल0ए0 / बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुमोदित योजना की स्वीकृत मदों पर तदनुसार ही किया जायेगा तथा किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग अन्य मदों में तथा अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जायेगा।

(5) लाभार्थी/इकाइयों को धनराशि का भुगतान एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किया जायेगा। धनराशि का भुगतान चेक अथवा नगद नहीं किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि के व्यय की मदवार सूचना निर्धारित प्रारूप बी0एम0-13 पर प्रत्येक माह में नियमित रूप से शासन तथा वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध करायी जायेगी। इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय शासन के वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर मितव्ययिता सुनिश्चित किए जाने के संबंध में निर्गत किये गए शासनादेशों एवं इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 तथा तत्संबंधी समय समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों/दिशा-निर्देशों का पूर्णतय: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा व स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा। साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत नियमों/शासनादेशों का भी कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व योजनान्तर्गत लाभार्थियों की पात्रता एवं आंकडों की शुद्धता के साथ ही बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य अवश्य सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें अतिरिक्त धनराशि की माँग नहीं की जायेगी तथा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की माँग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा एवं प्रश्नगत प्रकरण में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त धनराशि की स्वीकृति से सम्बन्धित योजना के दिशा निर्देश प्रभावित न हों।

(10) उपर्युक्त पुनर्विनियोग की गई धनराशि रू0 153.27 लाख मात्र वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-003 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-'2851- ग्राम तथा लघु उद्योग-800-अन्य व्यय-14-वायुयान भाड़ा सहायता योजना-27-सब्सिडी' (लेखाशीर्षक 15 डिजिट में 2851-00-800-14-00-27) मद में डाली जायेगी तथा लेखाशीर्षक-'2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-16-उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना-27-सब्सिडी' (लेखाशीर्षक 15 डिजिट कोड में-2851-00-102-16-00-27) में परिलक्षित हो रही बचतों से पुनर्विनियोग द्वारा इसे वहन किया जायेगा। पुनर्विनियोग प्रपत्र संलग्न है।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के आर.ई.संख्या-**बजट-1-778, दिनाँक 26-03-2025** में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(दयाराम यादव)
अनु सचिव।

संख्या-189(1)/18-4-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज/ लखनऊ ।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज/ लखनऊ।

3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1)सी0ए0एस0एस0-3/टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन, उ0प्र0,प्रयागराज/लखनऊ।

4- निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उ0प्र0 प्रयागराज/निदेशक,वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय-125 जवाहर भवन, लखनऊ।

5- निर्यात आयुक्त/ संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0 लखनऊ/वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर/लखनऊ।

6- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ, उ0प्र0, लखनऊ ।

7- कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ।

8- वित्त, (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त(आय-व्यय) अनुभाग-1

9- नियोजन अनुभाग-1व 4/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2/3

10- उप सचिव (श्री पुष्पेन्द्र सिंह), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन को ऑनलाइन बजट एलाटमेण्ट सिस्टम में प्रविष्टि हेतु ।

11-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(दयाराम यादव)
अनु सचिव।

फार्म बी0 एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भांति देख लिया जाये)

अनुदान संख्या व नाम-003,उद्योग विभाग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन)

अनुदान संख्या-003 वित्तीय वर्ष 2024-25 (धनराशि लाख रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्षक(15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /**	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत**	**संक्रमित की जाने वाली धनराशि**	**वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि**	**संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	विनियोग				
1	2	3	4	5	6
राजस्व 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग 102-लघु उद्योग 16-उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना 27-सब्सिडी (लेखाशीर्षक-2851-00-102-16-00-27)	9384.35	9384.35	153.27	153.27	9231.08
योग	9384.35	9384.35	153.27	153.27	9231.08

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा**		
लेखाशीर्षक(15डिजिटकोड में)	**वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान**	**वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय**	**संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)**	**वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि**	**संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)**
7	8	9	10	11	12
राजस्व 2851- ग्राम तथा लघु उद्योग 800-अन्य व्यय 14-वायुयान भाड़ा सहायता योजना 27-सब्सिडी (लेखाशीर्षक 2851-00-800-14-00-27)	200.00	353.27	153.27	153.27	353.27
योग	200.00	353.27	153.27	153.27	353.27

स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है -

वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय न होने के कारण बचत की सम्भावना है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>मांग का औचित्य:</u>- निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 के माध्यम से निर्यातकों के दावों के निस्तारण हेतु संचालित वायुयान भाडा सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु स्वीकृत धनराशि से निर्यातकों के दावों के निस्तारण हेतु धनराशि रू0 353.27 लाख की आवश्यकता है। शासन द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु रू0 200.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उक्त धनराशि के सापेक्ष निर्यातकों के दावों के निस्तारणार्थ अतिरिक्त धनराशि रू0 153.27 लाख की आवश्यकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150, 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर.ई.संख्या-**बजट-1-778, दिनाँक 26-03-2025**

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम

उ0प्र0 प्रयागराज।

हस्ताक्षर .....
नाम व पदनाम- दयाराम यादव, अनु सचिव
प्रशासकीय विभाग -सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम
तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग।

हस्ताक्षर .....
नाम व पदनाम - अनुराग गुप्ता,विशेष सचिव
वित्त विभाग(वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1)

<u>संख्या-189(1)/18-4-2025,दिनांक 26 मार्च,2025</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- निर्यात आयुक्त/संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 लखनऊ।
2- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0,कानपुर।
3- कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
7- गार्ड फाइल।

हस्ताक्षर .....
नाम व पदनाम-दयाराम यादव,अनु सचिव
प्रशासकीय विभाग -सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम
तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।